

## तलाश या मुआयना आम का दरखास्त

दफतर.....रजिस्टर.....

१- दरखास्त की तारीख.....

२-दरखास्त करने वाले का नाम मय पता.....

३-क्या दरखास्त करने वाला चाहता है कि नतीजे का सूचना बार का सर्टिफिकेट उसके पास डाक द्वारा भेजा जाय या स्वयं हाजिर होगा या किसी आदमी के माफत वापस लेगा, जिसको उसने खुद उनके लिए नामजद किया हो ।.....

४-मुकदमें का नम्बर, अदालत का नाम और मुकदमें में फरीकैन के नाम सहित (जरूरत के समय लिखा जाय).....

५-माल जिसका रजिस्ट्री में मुआयना या तलाश किया जायेगा ।....

६-उन लिख्तमो की दशा में जो बही नं० ३ या ४ में दर्ज है व्यौरा इस बात का कि तलाश मुआयना तलाश करने का हक रखता है।.....

(2)

| जायदाद या जायदादो का ब्यौरा | मालिक माल का मालिकान<br>मुस्तरफा का नाम | कैफियत |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                             |                                         |        |
| 1-                          |                                         |        |
| 2-                          |                                         |        |
| 3-                          |                                         |        |
| 4-                          |                                         |        |
| 5-                          |                                         |        |
| 6-                          |                                         |        |

तसदीक की जाती है कि उपरोक्त जहाँ तक मेरी समझ में सही व दुरुस्त है ।

दरखास्त करने वाले के हस्ताक्षर

नोट :- हर जायदाद की फीस अलग से देनी अगर लिखितम एक ही शख्स का तफरीश की हुई न हो या एक शख्स से हक में तफरीश न की गई हो अन्तिम दशा ऐसे शख्स का नाम व उसका सम्बन्ध लिखित में जाहिर करना होगा ।